

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

विज्ञप्ति संख्या-पी०आर० 166/2024

डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 के आधार पर राज्य के सरकारी डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना:-

समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 252/2024 एवं पी०आर० 258/2024 के क्रम में सभी संबंधित हितधारकों को यह सूचित किया जाता है कि राज्य के डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 के पश्चात ऑनलाइन आवेदन के आधार पर प्रथमतः सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु प्रथम चरण की चयन सूची दिनांक 17.07.2024 को जारी की गयी थी। चयनित आवेदकों को निर्गत प्रथम सूचना पत्र (First Intimation Letter) में समिति द्वारा आवंटित संस्थानों में नामांकन दिनांक-18.07.2024 से 23.07.2024 तक अवधि निर्धारित थी, जिसे अम्यर्थी हित में दिनांक-27.07.2024 तक विस्तारित किया गया था।

2. कतिपय प्रशिक्षण संस्थानों में आवंटित आवेदकों द्वारा नामांकन नहीं लिये जाने के फलस्वरूप सीट रिक्त रह जाने के कारण मेरिट-कम-चॉइस के आधार पर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची तैयार कर जारी की जानी है।

3. तदनुसार द्वितीय चयन सूची एवं नामांकन की अन्य गतिविधि निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	कार्य	तिथि
i	द्वितीय चयन सूची जारी होने की तिथि	02.08.2024
ii	आवेदकों को द्वितीय सूचना पत्र (Second Intimation letter) निर्गत करने की तिथि	02.08.2024
iii	नामांकन की अवधि	03.08.2024 से 07.08.2024 तक
iv	आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिये ऑनलाइन आवेदन की अवधि	07.08.2024 तक
v	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन (Updation) किया जाना	08.08.2024 तक
vi	जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में कहीं भी नहीं हुआ है, उसके लिये नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि (सीट रिक्त रहने की स्थिति में)	10.08.2024

4. द्वितीय चरण में जिन आवेदकों का नामांकन हेतु संस्थान का आवंटन हुआ है, उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे उक्त निर्धारित तिथि 07.08.2024 तक अपना नामांकन अवश्य करा लें। जो आवेदक अपने आवंटित संस्थान में उक्त अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, उनका अम्यर्थित्व अगले चरणों के लिये समाप्त कर दिया जाएगा।

5. डी०एल०एड० कोर्स संचालित सभी संस्थानों के प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में समिति के विज्ञप्ति/पत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

6. समिति की विज्ञप्ति संख्या - पी०आर० 236/2024 में निर्धारित अन्य निर्देश एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

20/8/24

परीक्षा नियंत्रक, विविध  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।